राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(11)न्याय/2018 जयपुर, दिनांक 1.7.22

:: आज्ञा ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आरक्षित सूची से चयनित कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति की अभिशंसा के आधार पर निम्नलिखित अभ्यार्थियों को निम्न अधिसूचनाओं में अंकित प्रावधानों के अनुसार कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता हैः–

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचनाएंः–

i. एफ.12(6)एफ.डी./रूल्स/05/ दिनांक 13.03.2006
ii. एफ.16(2)एफ.डी./रूल्स/98/ दिनांक 13.03.2006
iii. एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/03/ दिनांक 13.03.2006
iv. एफ.6(6)एफ.डी./रूल्स/05/ दिनांक 13.03.2006
v. एफ.16(5)एफ.डी./रूल्स/98/ दिनांक 13.03.2006
vi. एफ.1(2)एफ.डी./रूल्स/06/ दिनांक 13.03.2006
vii. एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/17/ दिनांक 30.10.2017

तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचनाएंः–

i. प.7(2)कार्मिक/ए–11/2005 दिनांक 20.01.2006
ii. प.7(3)कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.06.2006

S. No.	Merit No.	Roll No.	Category	Name (Mr./Smt./Miss)	Birth Date	Photo
1.	R-1	213032	GE	VISHWAJEET TANWAR	24.07.1995	
2.	R-2	213020	GE,WE	KHUSHBOO PUNJ	07.03.1987	
3.	R-3	222271	GE	VIJAYANT PRATAP SINGH	01.01.1996	

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\APPOINT ORDER 5 CANDIDATES J.L.O. WAITING.docx

S. No.	Merit No.	Roll No.	Category	Name (Mr./Smt./Miss)	Birth Date	Photo
4.	R-4	228308	GE,WE	SHIVANI PUROHIT	15.08.1994	
5.	R-23	209616	GE,WE,EWS	PRATIBHA SHARMA	02.10.1986	

उक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी:–

1. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को तुरन्त प्रभाव से भिजवाएंगे। कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। परिवीक्षाधीन अवधि में अभ्यर्थियों का आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य प्रशासनिक कारणवश यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
3. इनकी वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम में रहेगी।
4. यह नियुक्ति सेवा नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अध्यधीन होगी। इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, F.14(1)FD/RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 एवं एफ.15(1)एफ.डी. /रूल्स/17/ दिनांक 30.10.2017 तथा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक देय होगा। कनिष्ठ विधि अधिकारी का पे–बेण्ड नं.–2 9300–34800 ग्रेड पे नं.–11 – 3600 LEVEL-10 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई है, जो परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने पर नियमित वेतनमान देय होगा।
5. कार्यग्रहण करने वाले अभ्यार्थियों को कार्यग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

6. पूर्वाचरण की जांच एवं चरित्र से संबंधित भविष्य में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/सूचना प्राप्त हुई तो इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

उक्त अभ्यार्थियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जा रहे है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
5. संबंधित विभाग।
6. संबंधित कनिष्ठ विधि अधिकारी।
7. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव